आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Coffee Board of India

ICDP Transit/Freight Assistance for Coffee Exports

कॉफी बोर्ड पंजीकृत कॉफी निर्यातकों को दूर के बाज़ारों में उच्च मूल्य की हरी कॉफी और इंडिया ब्रांड के रूप में खुदरा पैक में मूल्यवर्धित कॉफी निर्यात करने पर प्रति किलो परिवहन और भाड़ा सहायता देता है।

क्या मिल सकता है

निर्यातक के बैंक खाते में पीएफएमएस से दी जाने वाली प्रति किलो भाड़ा सहायता। यह दूर के बाज़ारों (अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, फ़िनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क) में भेजी गई उच्च मूल्य की हरी कॉफी पर, और इंडिया ब्रांड के रूप में खुदरा पैक में निर्यात की गई भुनी, पिसी या इंस्टेंट कॉफी पर लागू होती है। भुगतान उस साल की उपलब्ध निधि पर निर्भर है और दावे प्राप्ति के क्रम से निपटाए जाते हैं।

किसके लिए है

कॉफी बोर्ड के साथ वैध पंजीकरण रखने वाले कॉफी निर्यातक, जो निर्यात परमिट के आधार पर कॉफी भेजते हैं।

मुख्य शर्तें

- निर्यातक का कॉफी बोर्ड में वैध पंजीकरण होना चाहिए और निर्यात निर्यात परमिट तथा आईसीओ मूल प्रमाणपत्र के आधार पर होना चाहिए।
- मूल्यवर्धित कॉफी खुदरा उपभोक्ता पैक में जानी चाहिए, जिन पर कॉफीज़ ऑफ़ इंडिया का लोगो और मेड इन इंडिया या प्रोडक्ट ऑफ़ इंडिया लिखा हो।
- मूल्यवर्धित कॉफी शुद्ध कॉफी होनी चाहिए। चिकोरी या अन्य मिलावट वाले पैक पात्र नहीं हैं।
- हरी कॉफी बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध उच्च मूल्य की किस्म या ग्रेड की होनी चाहिए, जैसे प्लांटेशन ग्रेड, विशेष कॉफी, जैविक कॉफी या एस्टेट ब्रांड कॉफी।
- कॉफी अस्वीकृत होकर वापस आए तो निर्यातक को अस्वीकृति के एक महीने के भीतर दावे की राशि लौटानी होगी।

दस्तावेज़

- सीमा शुल्क पृष्ठांकन वाला निर्यात परमिट
- आईसीओ मूल प्रमाणपत्र
- बिल ऑफ़ लैडिंग या शिपिंग बिल
- बीजक और पैकिंग सूची
- मूल्यवर्धित कॉफी के दावों के लिए खुदरा पैक के लेबल की रंगीन प्रति
- निर्यातक के बैंक खाते का विवरण

आवेदन कैसे करें

1. पक्का करें कि कॉफी बोर्ड में आपका निर्यातक पंजीकरण वैध है और ई-परमिट पोर्टल पर अपना बैंक विवरण अद्यतन करें।
2. coffeeboard.gov.in/permit पर प्रोत्साहन अनुभाग खोलें और उच्च मूल्य की हरी कॉफी के लिए फ़ॉर्म ए या खुदरा पैक की मूल्यवर्धित कॉफी के लिए फ़ॉर्म बी चुनें।
3. परमिट, मूल प्रमाणपत्र, बिल ऑफ़ लैडिंग या शिपिंग बिल और बीजक अपलोड करें और दावे की मात्रा व राशि भरें। फ़ॉर्म बी में दावा जमा करने से पहले बोर्ड को खुदरा पैक के नमूने भौतिक रूप में दें।
4. बोर्ड दावे की जाँच करता है, और कमी मिले तो दावा स्पष्टीकरण लिंक में चला जाता है ताकि आप जानकारी जोड़कर दोबारा भेज सकें। मंज़ूर दावों का भुगतान पीएफएमएस से होता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://coffeeboard.gov.in/Schemes/Export%20Incentive-Circular-Flowchart-Modolities.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://coffeeboard.gov.in/permit/
आधिकारिक PDF: https://coffeeboard.gov.in/15th-comission.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/coffee-icdp-export-transit-freight-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।